

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- अशोक कुमार सांखला, आर0टी0एक्ट)

अपील संख्या :- 11/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट

उनवान :- 1. गिराज प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सूरज भान गुप्ता जाति महाजन उम्र करीब 48 साल निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

-----अपीलाण्ट

--:बनाम:-

1. सूरजी देवी पुत्री श्री जीवण जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह तन झझारपुरा तहसील बानसूर हाल बेवा गणेशा स्वामी निवासी रामशाला तहसील थानागाजी जिला अलवर
2. असरा देवी पुत्री श्री जीवणा जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह तन झझारपुरा तहसील बानसूर हाल पत्नि बिडदी चन्द स्वामी निवासी रामशाला तहसील थानागाजी जिला अलवर

-----असल रेस्पोंडेन्टान

3. सन्तरा पुत्री गणपत जाति स्वामी उम्र करीब 35 साल निवासी दौलत सिंह तन झझारपुरा तहसील बानसूर हाल पत्नि बनवारी लाल जाति स्वामी निवासी इस्माईलपुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर
4. सुल्लड पुत्र श्री मेवा जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह तन झझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

5. कालियों पुत्र श्री मेवा जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह तन झझारपुरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहसील बानसूर जिला अलवर

6. गीता पुत्री श्री मेवा जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह तन झझारपुरा

तहसील बानसूर जिला अलवर

7. मु० मांगी बेवा रामौतार जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह तन

झझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

8. महेन्द्र दास पुत्र श्री राम अवतार जाति स्वामी निवासी दौलत सिंह

तन झझारपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर बहरोड़ दिनांक

27/03/2001

उपस्थित :-

1. वकील अपीलांट

:- श्री अनिल गुप्ता, कु. अल्का शर्मा

2. वकील रेस्पोंडेंट असल

:- श्री मोहर सिंह मीना

निर्णय


दिनांक- 25.02.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड़ द्वारा राजस्व वाद सं० 286/95 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2001 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक एवं हुकम इस्तनाई दवाजी डिक्री किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि खं० नं० 51 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 170 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम झझारपुर तहसील बानसूर का वास्तविक खातेदार जीवणा था। उनके देहान्त के बाद उनके लडको गणपत व रामावतार ने समभाग में करा लिया। जबकि वादीगण के प्रत्येक का 1/4 भाग होना चाहिये। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है।

X.M.  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बहस में विद्वान वकील अपीलान्त का कथन है कि विवादित भूमि में से खं० नं० 51 में 1/4 भाग जरिये रजि० बयनामा दिनांक 29.12.1997 को खरीदी है। कब्जा अपीलान्त का है। परन्तु वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया। इसलिये धारा 96 सी०पी०सी के प्रा० पत्र के साथ यह अपील पेश की है। अपीलान्त तहत अदालत में पक्षकार नहीं था। इसलिये निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। हमको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। मैं हितबद्ध पक्षकार हूँ। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. वकील रेस्प० का कथन है कि अपील मियाद बाहर है। ये हितबद्ध पक्षकार नहीं है। दौरान बाद विचारण भूमि खरीदी गई है। ये सदभावी क्रोता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्का पर गौर किया। अदालत हाजा की पत्रावली में बयनामा दिनांक 29.12.1997 की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि भूमि खं० नं० 51 में 1/4 भाग अपीलान्त ने खरीदी है, कब्जा प्राप्त करना भी अंकित है। इस बयनामा के आधार पर अपीलान्त का हक बनता है या नहीं, यह तो वाद में अपीलान्त के सुनवाई पश्चात तय होगा। परन्तु प्रथम-दृष्टतया वह खरीददार होने के नाते व्यथित पक्षकार है, जिसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। अतः धारा 96 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलान्त तहत अदालत में पक्षकार नहीं था। इसलिये नरम रुख अपनाकर देरी को माफ किया जाता है। अपीलान्त हितबद्ध पक्षकार होने के नाते उसकी सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित है।
6. अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक््री दिनांक 27.02.2001 को आराजी खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम झझारपुरा तहसील बानसूर की हद तक निरस्त किये जाते है। शेष आराजी की बाबत आदेश यथावत रहेंगे। प्रकरण तहत अदालत को रिमांड कर आदेशित किया जाता है कि वो वाद में आराजी खसरा नम्बर 51 पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक .....25.03.2021..... को तहत अदालत में उपस्थित हो।
7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

  
(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी अलवर